

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री पारसमल जैन
निवासी 4-7, टी-4 फ्लैट नं. 403
चौथी मंजिल नोर्थ टाउन स्टेप्सन रोड
पैराम्बुर बैरक चैन्नई।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 18 वर्ष 2023

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 01.03.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री रमनलाल जवानमलजी जैन निवासी जावाल को जावाल नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मौजूदा भवन/भूखण्ड में चल रहे निर्माण कार्य/प्रस्तावित निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत भवन योजना की प्रमाणित प्रति एवं उक्त निर्माण कार्य को स्वीकृत और अनुमोदन करने वाले अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम व पता एवं दूसरी मंजिल से आगे निर्माण करने की अनुमति देने के प्रावधानों के भवन उपनियमों और भवन विनियमों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 01.03.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री रमनलाल जवानमलजी जैन निवासी जावाल को जावाल नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मौजूदा भवन/भूखण्ड में चल रहे निर्माण कार्य/प्रस्तावित निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत भवन योजना की प्रमाणित प्रति एवं उक्त निर्माण कार्य को स्वीकृत और अनुमोदन करने वाले अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम व पता एवं दूसरी मंजिल से आगे निर्माण करने की अनुमति देने के प्रावधानों के भवन उपनियमों और भवन विनियमों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जावाल जिला सिरौही से सम्बन्धित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन जरिए पत्रांक/लो.सू.अ./2023/25 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल को स्थानान्तरित कर दिया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जावाल के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर लाल)

जिला कलक्टर, सिरौही

